अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 893(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियामक) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 25 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्द और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है, क्रमशः वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं ।

3. **वेतन और भत्ते** - (1) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते अधिनियम की धारा 28 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **भविष्य निधि** - अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिदाय करने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा तथा प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

5. **छुट्टी** - (1) अध्यक्ष और सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे ।

(2) छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य किसी समय अपने खाते में जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण के हकदार होंगे ।

6. **यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता** - (1) अध्यक्ष और सदस्य को दौरे पर वह यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता सदंत्त किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के सेवकों को उस मूल वेतन पर लागू है ।

(2) वे बाहर के स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अतिथिगृहों या निरीक्षण बंगलों में, जहां लागू हो, उस वर्ग के जिसके लिए उनके समतुल्य वेतन वाले सरकारी सेवक पात्र हैं, सामान्य दर पर किए का संदाय करके, अस्थायी वास सुविधा के लिए भी पात्र होंगे ।

7. **चिकित्सीय सुविधाएं** - (1) अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल की सुविधाओं के हकदार होंगे ।

(2) वे स्थान जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रचालन में नहीं है, वहां अध्यक्ष और सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं है, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे ।

8. **शासकीय विदेशी दौरे** - (1) अध्यक्ष और सदस्य केवल, भारत सरकार में समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों को यथा लागू सरकारी आदेशों के अनुसार ही शासकीय विदेशी दौरे करेंगे ।

(2) विदेश में शासकीय शिष्ट मंडल के संबंध में जिसमें विनियामक प्राधिकरण के प्रशासनिक सचिव और अध्यक्ष या सदस्य दोनों सम्मिलित है, सचिव शिष्टमंडल का नेतृत्व करेगा और देशी दौरे के लिए, अध्यक्ष प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को सूचित करेगा ।

9. **वाहन सुविधा** - (1) प्राधिकरण, अध्यक्ष और सदस्यों के उपयोग के लिए किसी यात्री वाहन की खरीद नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष और सदस्य निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपनी वैयक्तिक कार के उपयोग और अनुरक्षण के उपयोग के लिए समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा अधिकथित 3000/- रु. और 5000/- रु. प्रति मास नियत प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे, जिसमें चालक का वेतन भी सम्मिलित है और जो सरकारी सेवक नहीं होगा ।

10. **वाससुविधा** - (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को यदि वे दिल्ली में ठहरते हैं आहरणित मूल वेतन (श्रेणी वेतन सम्मिलित है, यदि कोई हों) के तीस प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता के दावे का विकल्प दिया जाएगा, किंतु प्राधिकरण द्वारा किराए पर कोई मकान नहीं लिया जाएगा या सरकार द्वारा आबंटित नहीं जाएगा ।

(2) दिल्ली के बाहर, सदस्य और अध्यक्ष, सदस्यों के लिए तीन सौ वर्ग मीटर के लगभग और अध्यक्ष के लिए संबद्ध नगरपालिक निकायों के विनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय उपयुक्त खुली भूमि क्षेत्र अपार्टमेंट सहित लगभग तीन सौ पचास वर्ग मीटर माप वाले निर्मित क्षेत्र सहित किराए पर गैर सज्जित वाससुविधा के हकदार होंगे ।

11. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** - किसी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा

उसे चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता यदि उसे किसी समकक्ष प्राधिकारी द्वारा पहले से ही योग्य घोषित न कर दिया गया हो ।

12. **सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त समझा जाना**-- अध्यक्ष और सदस्य प्राधिकरण में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में क्रमशः नियुक्त होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त समझे जाएंगे ।

13. **पद और गोपनीयता की शपथ** - अधिनियम की धारा 25 के अधीन अध्यक्ष या सदस्य के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद की और गोपनीयता की शपथ लेगा ।

14. **अवशिष्ट उपबंध** - अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित वे विषय जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए भेजे जाएंगे और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्यों को लागू होगा ।

प्ररूप 1

(नियम 1 देखिए)

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के लिए पद की शपथ के लिए प्ररूप ।

"मैं.....(अध्यक्ष/सदस्य का नाम) जो अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार निर्वहन करूंगा ।"

अध्यक्ष/सदस्य का नाम
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

प्ररूप 2

(नियम 1 देखिए)

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप ।

"मैं.....(अध्यक्ष/सदस्य का नाम) जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा उक्त भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।"

अध्यक्ष/सदस्य का नाम
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

[फा. सं. टीएफसी/16/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव